।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 398 / 2022
जीसीएमएस नं. :–2022 / 398

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र दूलीचंद उर्फ दुलाराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. बनवारीलाल पुत्र दूलीचंद उर्फ दुलाराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कमला देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मुकेश कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बीजिला हनुमागनढ।
5. संतोष पुत्री देवीलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बेहरवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

–असल रेस्पोडेण्ट

7. अशोक कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी।
प्र. सं. 16 / 2022 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम देवीलाल आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अमरीक सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 से 5, 7

श्री रविन्द्र कुमार भाबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 6

निर्णय दिनांक 15.06.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें कथन किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम विभिन्न खातों में कृषि भूमि नहरी, नाली व गैरमुमकिन संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादपत्र में वर्णित अनुसार हक हिस्सा है। प्रश्गनत भूमि पैतृक भूमि है और पक्षकारों में आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अनुसार खाता विभाजन करने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने अर्जीदावा में माननीय राजस्व मण्डल के नियमानुसार नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई ना ही पटवारी हल्का या तहसीलदार से कब्जा बाबत काई रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना रिपोर्ट मंगवाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वाके चक 25 एनजीसी के प. नं. 181/266 मुरब्बा नं. 17 किला नं. 20, 21 में .012 है0 व वाके चक 26 एनजीसी के प. नं. 180/266 मुरब्बा नं. 22 किला नं. 16 में उत्तरी मोड पर .002 है0 रास्ता मंजूर कर दिया गया है जिसकी किसी भी पक्षकार को आवश्यकता नहीं थी। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थी अपीलाण्ट मात्र साक्षर है ज्यादा पढा लिखा नहीं है। इस कारण निर्णय के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी अब किसी काम से प्रार्थी ने अपनी भूमि की जमाबंदी प्राप्त की तब अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 व 7 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि रास्ते की हद तक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाती है तो उसे कोई एतराज नहीं है।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है को अपीलाधीन निर्णय में खाता विभाजन के वाद में स्वीकृत किये गये रास्ते के संबंध में आपत्ति है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता का कथन है कि यदि रास्ते की हद तक अपीलाधीन निर्णय डिक्री को निरस्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों का कथन है कि मंजूर किये गये रास्ते की किसी भी पक्ष को आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्अर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2021 चक 25 एनजीसी के प0 नं0 181/266 मु. नं. 17 किला नं. 20, 21 में .012 है0 व वाके चक 26 एनजीसी के प0 नं0 180/266 मु0 नं0 22 किला नं. 16 में उत्तरी मोड़ पर 002 है0 रास्ता की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 15.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या:– 398/2022
जीसीएमएस नं. :–2022/398

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र दूलीचंद उर्फ दुलाराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. बनवारीलाल पुत्र दूलीचंद उर्फ दुलाराम जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कमला देवी पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. मुकेश कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बीजिला हनुमागनढ।
5. संतोष पुत्री देवीलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बेहरवाला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

–असल रेस्पोडेण्ट

7. अशोक कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी।
प्र. सं. 16/2022 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम देवीलाल आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

"D" Form No. 8)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री अमरीक सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 से 5, 7, श्री रविन्द्र कुमार भाबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 6 की ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्अर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07. 2021 चक 25 एनजीसी के प0 नं0 181/266 मु. नं. 17 किला नं. 20, 21 में .012 है0 व वाके चक 26 एनजीसी के प0 नं0 180/266 मु0 नं0 22 किला नं. 16 में उत्तरी मोड़ पर 002 है0 रास्ता की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है।

डिक्री आज दिनांक 15.6.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ